

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

प्र08/प्राक्क0-06-336/2012

पटना, दिनांक -

११/१२/१५

१५-१०-१५

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय:-मधुबनी पथ प्रमंडलान्तर्गत झंझारपुर-मधुबनी-पुपरी राज्य उच्च पथ (एस0एच0-52) के मेहथ ढाला (पश्चिमी कमला तटबंध) से नवटोली एन0एच0-57 तक पथ निर्माण हेतु ग्राम बलनी मेहथ, थाना नं0-27। में भू अर्जन संबंधित कार्य कुल 165.73901 लाख (एक करोड़ पैंसठ लाख तिहत्तर हजार नौ सौ एक) रुपये के प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित व्यय पर करने के लिए प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:-उपर्युक्त कार्य निमित्त पथ निर्माण विभाग के ज्ञाप संख्या-9615(एस0), पटना, दिनांक-29.08.2012 के द्वारा कुल-89.794 लाख रुपये मात्र के लागत राशि के लिए निर्गत मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि को प्रथम बार पुनरीक्षित करते हुए कुल 165.73901 लाख (एक करोड़ पैंसठ लाख तिहत्तर हजार नौ सौ एक) रुपये मात्र के अद्यतन प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने के लिए प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विषयगत कार्य प्रावैधिक स्वीकृति एवं आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् सम्पादित किया जाएगा।
3. विषयगत कार्य का वित्त पोषण बजट व्यय शीर्ष "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-0102 वृहद् सड़कें-राज्य योजना-मत्तदेय" विपत्र कोड-P5054033370102 अन्तर्गत विकलनीय होगा।
4. विषयगत पथ कार्य का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधुबनी द्वारा कराया जायेगा, जो इस निमित्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा वे राशि की निकासी कोषागार, मधुबनी से करेंगे।
5. योजना के लागत में मूल प्रशासनिक स्वीकृति से कुल 84.58 प्रतिशत यानि 75.94501 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। योजना की लागत में वृद्धि का मूल कारण पुनरीक्षित प्राक्कलन की गणना वर्तमान में लागू नये भू-अर्जन अधिनियम के आलोक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु कुल 165.73901 लाख रुपये की मांग की गई राशि के अनुसार की गई है, जिसके कारण भूमि अधिग्रहण की राशि में बढ़ोत्तरी हुई है।
6. मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना एवं मुख्य अभियंता (यातायात), पथ निर्माण विभाग, उत्तर बिहार उपभाग, दरभंगा विषयगत कार्यों की प्रगति की नियमित रूप से प्रतिमाह समीक्षा करेंगे।
7. इसकी सूचना मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता (यातायात), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा / अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा/ कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधुबनी/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दे दी गई है।
8. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 96 वि(2)दिनांक 03.01.2008 एवं संकल्प संख्या 2190 वि (2) दिनांक 17.03.2008 के आलोक में प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव की स्वीकृति प्राप्त है।

1. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

(राम प्रकाश सिंह)

संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप सं० :- प्र08/प्राक्क0-06-336/2012 9921LS/

पटना, दिनांक - 15-10-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ अग्रसारित।

(राम प्रकाश सिंह)

संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप सं० :- प्र08/प्राक्क0-06-336/2012 9921LS/

पटना, दिनांक - 15-10-14

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ अग्रसारित।

(राम प्रकाश सिंह)

संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप सं० :- प्र08/प्राक्क0-06-336/2012 9921LS/

पटना, दिनांक - 15-10-14

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (आय-व्ययक शाखा), पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/ जिला पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ अग्रसारित।

(राम प्रकाश सिंह)

संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप सं० :- प्र08/प्राक्क0-06-336/2012 9921LS/

पटना, दिनांक - 15-10-14

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (यातायात), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा/ मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पटना / अधीक्षण अभियंता, उच्च पथ योजना एवं अन्वेषण अंचल, पटना / अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, दरभंगा/ कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. विषयगत कार्य को कार्य की विस्तृत प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति एवं आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् ही सम्पादित किया जाय।
3. मुख्य अभियंता (यातायात), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा/ मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा, पथ निर्माण विभाग विषयगत कार्य के विस्तृत प्राक्कलन का प्रावैधिक स्वीकृति अविलम्ब प्रदान करें।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधुबनी इस कार्य की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता (यातायात), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा / मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(राम प्रकाश सिंह)

संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप सं० :- प्र08/प्राक्क0-06-336/2012

प्रतिलिपि :- :- मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, के आप्त सचिव / अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग/ संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग /आं0 वि0 स0, पथ निर्माण विभाग/ सचिव(प्रावैधिक) अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/ विशेष पदाधिकारी (यातायात), पथ निर्माण विभाग/ विशेष पदाधिकारी (यातायात) के तकनीकी सलाहकार, पथ निर्माण विभाग / योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का प्रकोष्ठ / अभियंता प्रमुख - सह - अपर आयुक्त-सह- विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का प्रकोष्ठ/ कार्यपालक अभियंता, योजना सूत्रण, पथ निर्माण विभाग /प्रशाखा पदाधिकारी, आय-व्ययक प्रशाखा-9/प्रशाखा-10 एवं 11, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

2. मुख्य अभियंता (यातायात), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा/ मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन की नियमित रूप से प्रत्येक माह समीक्षा कर, अपने सुस्पष्ट मंतव्यों से अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराते रहेंगे।

(राम प्रकाश सिंह)

संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।